कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र) पत्रांक 41/3700/मा0/नि0/18

संशोधित/पुनरीक्षित दिनांक: 3-9-2015

मानचित्र संख्या 660/THA/AH दिनांक 16-7-2015

श्रीमति/श्री, मैसर्स एम0आर0प्रोव्यू रियलटेक प्रा0 लि0
B-66 से0-63 नोएडा

....

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 03-7-2015 के सन्दर्भ में

आपके प्रस्तावित ख0 नं0 376,377,378 भवन की मौहल्ला/

कालोनी/ग्राम भिकनपुर, पी 29334 आदि पर ग्राम पंचायत मुरादनगर

निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरो पर समस्त दीवारो के ऊपर आर0सी0सी0 टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है जो डी0पी0सी0 लेवल सिस्टम प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे – नगर पालिका, (जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सडक की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।

स्थल पर एक बाड पर स्वीकृत मानचित्र का संख्या व दिनाक लिखना अनिवार्य होगा।

8. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा ।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एंव स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 17-8-15 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रति हे0 60 पेड़ लगाना अनिवार्य है।

मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तो के अधीन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उसके अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बेंक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करना तथा मानचित्र निर्गत होने से पूर्व अग्नि शयन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
19. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेवर सैस मद में प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा किया जाना आवश्यक होगा।
20. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
21. भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 (3) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू-स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नही है।

संलग्नक :

1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक /एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि 1. प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Scanned by CamScanner